भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2172

उत्तर देने की तारीख 14 मार्च, 2023

23 फाल्गुन, 1944 (शक)

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

2172. श्री संजय भाटिया:
श्री राजन विचारेः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है ताकि इसे देश का सर्वश्रेष्ठ खेल केन्द्र बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के समन्वय से करनाल संसदीय क्षेत्र में दस एकड़ में फैले एक ओलंपिक पार्क का निर्माण करने का है ताकि करनाल और पानीपत के राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा सकें तथा उन्हें श्री नीरज चोपड़ा की तरह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): वर्तमान में हरियाणा और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल शिक्षा सहित देश में खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। मणिपुर राज्य के इंफाल में स्थापित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (एनएसयू) देश के सभी राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के छात्रों और एथलीटों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(ग) और (घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना के निर्माण सहित देश में खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों की पूर्ति करती है। तथापि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न खेल विधाओं की 293 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। यह मंत्रालय खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित भी करता है और देशभर के युवाओं को लाभ/ सुविधाएं प्रदान करता है:

(i) खेलो इंडिया स्कीम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता; (iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ); और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपर्युक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों (www.yas.nic.in/sports; www.sportsauthorityofindia.nic.in:) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

****